SPEED POST

(2)



# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण ,उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- F-17 ( ) विधि / उ.वि.प्रा. / 2024 / 3298 दिनांक :- 27.5.2024

निमित्त,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नम्बर 891 / 2022 अनवान मान्या शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-03-2023 की पालना प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 15-03-2023 को आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य भाग निम्नानुसार हैं :-

"5. Having regard to above, we are left with no option except to direct the Chief Secretary, Rajasthan to ensure that measures are adopted to protect the hills in the area. Even important project of water supply should be undertaken consistent with the environmental norms without cutting the hills. The Chief Secretary, Rajasthan may consult Geology Department of the State or any other expert so as to take preventive and remedial measures for protection of the hills by notifying boundaries and conducting 3 suitable demarcation. Such measures may be taken preferably within three months. A public notice be issued prohibiting developmental/construction activities on the hills.

6. An action taken report may be filed with the Registrar General, NGT by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF on or before July 15, 2023. If any further direction is found necessary, he may place the matter before the Bench.

Subject to above, the Application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to Chief Secretary, Rajasthan by email for compliance."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में निवेदन निम्नानुसार हैं :-

1. मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उदयपुर शहर को स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति किये जाने हेतु राजस्व ग्राम उदयपुर शहर के खसरा संख्या 415 में से 35,000 वर्गमीटर भूमि निशुल्क जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी विभाग, उदयपुर को पानी की टंकी / फिल्टर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु आवंटित की गई थी, जिसपर उक्त पानी की टंकी एवं फिल्टर प्लान्ट निर्माण किये जाने के संबंध में मान्या शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र आप माननीय अधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवायी के पश्चात् माननीय अधिकरण द्वारा पर्वतीय क्षैत्र के संरक्षण हेतु निवारक / उपचारात्मक कदम उठाने, पहाडो की कटिंग किये बिना पर्यावरणीय मापदण्ड अनुसार कार्ययोजना (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया हैं।
2. यह कि पर्वतीय क्षेत्रो के संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 07-05-2018 से **"नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम, 2018"** अधिसूचित किये गए थे। जिसके तहत राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए योजनाए अनुमोदित एवं स्वीकृत की जा रही थी।
3. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (जनहित) संख्या 1374 / 2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24-08-2023 का मुख्य भाग निम्नानुसार हैं :-

*"Meanwhile, the respondents are restrained from granting permission of construction of buildings, resorts and motels etc. as per the Hill Bye Laws notified vide notification dated 07.05.2018.The respondents are also directed to maintain status quo, as it exists today, in relation to the ongoing construction of cantilever Food Court over the Swaroop Sagar Lake, Udaipur City.*

*It is made clear that the State Government is free to reframe the Hill Bye Laws or amend the existing Hill Bye Laws after taking into consideration the suggestions provided by the petitioner in this writ petition and after taking opinion from the experts on subject. It is also made clear that before notifying the reframed Hill Bye*

RajKaj Ref 7484533

*Laws or amended the existing Hill Bye Laws, the State Government may take leave of this Court."*

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण विनियम, 2018 के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडियो पर निर्माण स्वीकृति जारी नहीं करने हेतु संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पत्र कमांक– 1653–65 दिनांक 29–09–2023 से ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित पहाडियो के संरक्षण हेतु प्रस्तावित निर्माण की नियमो के तहत समीक्षा कर निर्णय लिये जाने हेतु करने हेतु पत्र कमांक– 1667–1671 दिनांक 29–09–2023 से जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे समिति का गठन किया गया हैं। पत्रो की प्रतियां प्रस्तुत हैं।

4. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24–08–2023 की पालना में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण विनियम, 2018 को पुनः बनाये जाने/संशोधित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक– प18 (10)/नविवि/Hill Policy/2018 जयपुर दिनांक 10–11–2023 से समिति का गठन किया जाकर पहाडो के संरक्षण हेतु नवीन विनियम तैयार किये जाने का आदेश दिया गया हैं। आदेश की प्रति प्रस्तुत हैं।

5. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 28–02–2024 की पालना में उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा स्वीकृत योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु विकासकर्ताओ को सूचना पत्र जारी किये गए हैं। सूचना पत्रो की प्रतिया प्रस्तुत हैं।

अतः माननीय अधिकरण से निवेदन हैं कि पहाडी क्षैत्रो के संरक्षण हेतु निवारक/उपचारात्मक कदम उठाने तथा पहाडो की कटिंग किये बिना पर्यावरणीय मापदण्ड अनुसार विकास किये जाने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में विनियम बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं एवं पहाडो के संरक्षण हेतु निरन्तर मोनेटरिंग की जा रही हैं।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2023 की अनुपालना रिपोर्ट सादर प्रस्तुत हैं।

सलग्न :– उपरोक्तानुसार। (2)

भवदीय

(राहुल जैन)I.A.S.
आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

RajKaj Ref
7484533

Document certified by Rahul Jain
<rahuljainiitb91@gmail.com>.
Digitally Signed by RAHUL JAIN
Designation : Commissioner
Date :24-05-2024 11:12:14

# राजस्थान सरकार
# कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक एफ 10(4) 1/राज/परिपत्र/2023/**1653–1665** दिनांक **29.09.2023**

जिला कलक्टर
उदयपुर, भीलवाडा,
चित्तोड़गढ, राजसमंद, सलूम्बर।

सचिव,
नगर विकास प्रन्यास,
उदयपुर, भीलवाडा, चित्तोड़गढ,

आयुक्त,
नगर निगम/नगर परिषद
उदयपुर, भीलवाडा,
चित्तोड़गढ, राजसमंद, सलूम्बर।

विषयः–डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2023 (माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 07.05.2018 से "नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण विनियम–2018" जारी किये गये है।

उक्त रिट पिटीशन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2023 से आदेशित किया है कि "Meanwhile, the respondents are restrained from granting permission of construction of buildings, resorts and motels etc. as per the Hill Bye Laws notified vide notification dated 07.05.2018. The respondents are also directed to maintain status quo, as it exists today, in relation to the ongoing construction of cantilever Food Court Over the Swaroop Sagar Lake, Udaipur City. "

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.08.2023 की पालना सुनिश्चित की जावें "नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण विनियम–2018" के तहत किसी भी भवन/रिसोर्ट/मोटलस आदि के निर्माण की स्वीकृति जारी नही की जावें।

इस हेतु एक मोबाईल टीम का गठन किया जावें, जो नियमित रूप से मोनेटिरिंग करे कि उक्त आदेश के अनुसार नगरीय क्षेत्र में किसी भी पहाड़/मगरी की कटाई एवं उन पर निर्माण कार्य ना हो, उक्त मोबाईल टीम प्रतिदिन संबंधित प्रन्यास/नगर निगम/नगर परिषद को रिपोर्ट प्रेषित करेगी तथा प्रन्यास/नगर निगम/नगर परिषद, संबंधित जिला कलक्टर को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(राजेन्द्र भट्ट) I.A.S.
संभागीय आयुक्त

क्रमांक एफ 10(4) 1/राज/परिपत्र/2023/1666 दिनांक **29.09.2023**

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 24.08.2023 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Bhatt
Designation: Divisional Commissioner
Date: 2023.09.29 13:01:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4816999

4913
5.10.23

# राजस्थान सरकार
## कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक एफ 10(4) 1/राज/परिपत्र/2023/1637–1671 दिनांक 29.09.2023

जिला कलक्टर,
उदयपुर/भीलवाडा/
चित्तोड़गढ/राजसमंद/सलूम्बर।

विषयः– जिले में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं एवं अन्य पहाड/पहाडियों/मगरी को संरक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 07.05.2018 से "नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण विनियम–2018" जारी किये गये है, हालांकि डी.बी. रिट पिटीशन संख्या–1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2023 से "नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण विनियम–2018" के तहत भवन/रिसोर्ट/मोटलस आदि के निर्माण की स्वीकृति पर रोक लगाई है।

जिलों की नगरीय क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं व पहाड़/पहाड़ियों के संरक्षण के संबंध में कोई विनियम/नियम लागू नही है। जिससें नगरीय क्षेत्रों से लगते हुए क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखला व पहाड़/पहाड़ियों के संरक्षण के कोई प्रावधान नहीं होने से, ऐसे क्षेत्रों में पहाड़/पहाड़ियों का अवैध खनन एवं खातेदारी में ऐसा भू–भाग होने पर, भू–उपयोग परिवर्तन करा भूमि को समतल/पहाडों की कटाई कर सम्पूर्ण क्षेत्र पर निर्माण कार्य से पहाड़/पहाड़ियों को खत्म किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है।

पर्वत श्रृंखला व अन्य पहाडी क्षेत्र अपने आप में एक पारिस्थितिक तन्त्र है। अतः यह हम सब का दायित्व है कि पर्वत श्रृंखला व पहाड़ों को सरक्षित किया जावें। इस हेतु यह आवश्यक है कि पहाड़ों पर अवैध खनन ना हो एवं खातेदारी में स्थित ऐसे भू–भाग पर भू–उपयोग परिर्वतन पश्चात निर्माण कार्य के लिए कुछ मानक तय किये जावें तथा पालना नही किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावें।

खान (ग्रुप–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 05.07.2021 से यह निर्देशित किया गया है कि "खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु उस क्षेत्र का हलका पटवार जिम्मेदार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।" अतः यह निर्देशित किया जाता है कि खातेदारी भूमि पर स्थित पहाड़ो के अवैध खनन/कटाई पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिए संबंधित तहसीलदार को पाबन्द किया जावे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिर्वतन) नियम, 2007 के तहत इस प्रकार के भू–भाग जिसमें पहाड़/मगरी स्थित है का भू–उपयोग परिर्वतन एवं निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है तो ऐसे [illegible] उपरान्त कार्यवाही की जावें तथा पहाड़ी संरक्षण सुनिश्चित किये जाने एवं पहाड़ों को न्यूनतम [illegible]/हानि से

Signature valid
Digitally signed by …ndra Bhatt
Designation: Divisional Commissioner
Date: 2023.09.[illegible] 3:01:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4816999

# राजस्थान सरकार
# कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

रोकने एवं अधिक से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु निम्न की भी पालना के प्रयास किये जावें ताकि पर्यावरण एवं पारिस्थितिक सन्तुलन बना रहे–

1. पर्यटन ईकाई/रिसोर्ट/होटल/मोटलस आदि की निर्माण की स्वीकृति में वृक्षारोपण/हरित क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी आदि विकसित किये जाने का प्रावधान किया जावें।
2. पहाड़ वाले भू–भाग पर, बेसमेन्ट का निर्माण नही किया जावें।
3. निर्माण में पहाड़ों/मगरी का कटाव कम से कम किये जाने के लिए, ऊचाई पर पहुॅच के लिए पहाड़ की कटाई के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था यथा लिफ्ट, रोप–वे आदि उपयोग में लिये जाने के प्रावधान किये जावें।
4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये आदेशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जावें।
5. पर्यटन ईकाई/रिसोर्ट/होटल/मोटलस/फार्म हाउस आदि के निर्माण की दशा में जल संचयन प्रणाली (Water Harvesting Structure) का निर्माण किया जानें का प्रावधान किया जावें तथा जिनकी निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी है, व निर्माण प्रक्रियाधीन है, में भी जल संचयन प्रणाली विकसित किये जाने के प्रयास किये जावें।

इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण आदि में भी संबंधित एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में पहाड़ों/मगरी की कटाई कर सामग्री को भराव में उपयोग कर रोड़ का निर्माण किया जाता है, अतः इस हेतु भी सार्वजनिक निर्माण विभाग/ग्राम पंचायत आदि को निर्देशित किया जावे कि वह कार्यादेश में इस प्रकार की शर्त अंकित करें कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी पहाड़ी/मगरी का कटाव बिना सक्षम अनुमति के नही किया जावेगा तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को उक्त की पालना के लिए पाबन्द किया जावें।

ऐसे प्रकरण/भूमि जिनमें राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवासीय कॉलोनी/परियोजना व वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन एवं निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है, में अगर पहाड़/पहाड़ी वाला भू–भाग है तो ऐसे प्रकरणों में भू–उपयोग संपरिर्वतन एवं निर्माण स्वीकृति में प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य होने/नही होने के विधिसम्मत परीक्षण तथा उपरोक्त निर्देशों की पालना की समीक्षा हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की जाती है–

1. संबंधित उपखण्ड अधिकारी
2. उपविधि परामर्शी
3. संबंधित तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, ऐसे स्वीकृत किये गये समस्त प्रकरणों की सूचना जिला कलक्टर को प्रेषित करेगा ताकि समिति द्वारा समीक्षा की जा सकें। उक्त समिति वर्तमान में ऐसे भू–भाग, जिस पर पहाड़ी/मगरी है, पर चल रहे निर्माण कार्यो की भी पहाडों/मगरी की अनावश्यक कटाई रोकने के उद्देश्य से समय–समय पर समीक्षा करेगी। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार चल रहे निर्माण कार्य का समय–समय पर निरीक्षण करेगा एवं निर्माण कार्य की रिपोर्ट उक्त समिति को प्रस्तुत करेगा।

कृपया पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आपके स्तर से उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार आदि को निर्देशित किया जावें तथा पालना नही किये जाने पर संबंधित भू–स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें तथा पालना सुनिश्चित नही कराये जाने एवं पहाड़ो/मगरी की अनावश्यक/अवैध कटाई की प्रभावी मोनेटिरिंग नही करने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Bhatt
Designation : Divisional आयुक्त Commissioner
Date: 2023.09.2[illegible] 13:01:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4816999

राजस्थान सरकार
**कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर**

क्रमांक एफ 10(4) 1/राज/परिपत्र/2023/**1672** दिनांक **29.09.2023**

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

संभागीय आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Bhatt
Designation: Divis... al
Commission...
Date: 2023.09.2... 3:01:33 IST
Reason: Approved

**RajKaj Ref No. : 4816999**

आज़ादी का अमृत महोत्सव



# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 18(10)नविवि / HILL POLICY / 2018 जयपुर, दिनांकः 10 NOV 2023

## आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1374/2019 – झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 24.08.2023 को पारित आदेश के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में भवन, होटल और मोटल आदि के निर्माण हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 07.05.2018 – नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम–2018 के अधीन किसी भी प्रकार की अनुमति देने पर रोक लगाई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम–2018 में संशोधन करने अथवा इन्हें रिफ्रेम करने के आदेश दिए गए हैं जिन्हे नोटिफाई करने से पूर्व याची द्वारा रिट याचिका में दिए गए सुझावों पर भी विचार किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय की अनुमति के उपरान्त संशोधित अथवा रिफ्रेन्ड विनियम जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में उदयपुर/राजसमन्द/बांसवाड़ा/अलवर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ना केवल शहरी क्षेत्र अपितु ग्रामीण क्षेत्र भी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं तथा काफी संख्या में पहाड़ियां होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करते हैं। अतः ऐसे सभी क्षेत्रों, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समान विनियम बनाए जाएं ताकि पर्यटन की दृष्टि से निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण व मूलभूत ढांचागत विकास में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो।

पहाड़ों पर पर्यटन ईकाईयों के अनियोजित विकास के कारण पहाड़ों का भारी क्षरण हो रहा है तथा ऐसे स्थानों पर कचरा निस्तारण भी ना केवल सुनियोजित विकास की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी एक भयावह समस्या का रूप लेता जा रहा है।

अतएव, राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम–2018 में संशोधन किए जाने अथवा विनियमों को रिफ्रेम किए जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन करती हैः–

1. श्री एच. एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार, नगर नियोजन विभाग – अध्यक्ष ।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान – सदस्य ।
3. कलक्टर, उदयपुर अथवा उनके नामिति जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से निम्न स्तर के ना हों – सदस्य ।

4. कलक्टर, राजसमन्द अथवा उनके नामिति जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से निम्न स्तर के ना हों – सदस्य ।
5. कलक्टर, बांसवाडा अथवा उनके नामिति जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से निम्न स्तर के ना हों – सदस्य ।
6. राजस्व विभाग के नॉमिनी जो कि संयुक्त शासन सचिव से निम्न स्तर के ना हो।
7. दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें इण्डियन आर्किटेक्ट्स एसोसिशन द्वारा नामित किया जाएगा।
8. सचिव, उदयपुर नगर विकास प्रन्यास सदस्य – सचिव ।
9. जोनल वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर ।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त, समिति अपने विवेकानुसार किसी अन्य नगर निकाय के अधिकारी अथवा विशेषज्ञ को समिति में शामिल करना चाहे तो उसे विशेष आमंत्रित के रूप शामिल किया जा सकेगा।

समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाएंगे :–

1. समिति द्वारा उदयपुर/राजसमन्द/बांसवाड़ा आदि शहरों व आस–पास के बाहरी क्षेत्रों के पहाड़ों को संरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य के लिए नवीन विनियम तैयार करेगी। इस विषयक अन्य राज्यों में बनाए गए विनियमों का भी अध्ययन किया जाएगा। समिति द्वारा उक्त रिट याचिका में याची द्वारा दिए गए सुझावों का भी परीक्षण किया जाएगा तथा इनके सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए जाएंगे। समिति द्वारा उदयपुर अन्य स्थानों पर संचालित ऐसे निर्माण जो पहाड़ियों को संरक्षित रखते हुए किये गए हैं का भी अध्ययन किया जावेगा, ताकि विनियमों को व्यावहारिक बनाया जा सके।
2. समिति की बैठकें जयपुर/उदयपुर आदि स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।
3. समिति द्वारा विनियमों में दी गई "पहाड़ों की परिभाषा का भी पुर्नः विवेचन किया जाएगा।
4. समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन/ऐतिहासिक पर्यटन जैसे कि कुम्भलगढ़ के सम्बन्ध में नियोजित विकास हेतु सुझाव दिए जाएंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त समिति विषयवस्तु से सम्बन्धित अन्य सुझाव भी दे सकेगी।
6. समिति से सम्बन्धित समस्त व्यय, यथा यात्रा व्यय, स्टेशनरी, आदि का वहन नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा वहन किया जाएगा।
7. इन भवन विनियमों की मॉनिटरिंग मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

समिति दिनांक 31 मार्च 2024 तक अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही** हेतु **प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. श्री एच. एस. संचेती प्रमुख सलाहकार, नगर नियोजक विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
8. कलक्टर, उदयपुर।
9. कलक्टर, राजसमन्द।
10. कलक्टर, बांसवाडा।
11. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
14. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
15. जोनल वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर।
16. इण्डियन आर्किटेक्ट्स एसोसिशन।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Ann – IV

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

कमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

मैसर्स रिषम प्रोप मार्ट अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
श्री विकास श्रीमाली पिता सुनिलदज श्रीमाली
निवासी उदयपुर

**प्रसंग:-** राजस्व ग्राम खेडा कानपुर खसरा संख्या 14010/4024, 14008/4024

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम **खेडा कानपुर** के खसरा संख्या **14010/4024, 14008/4024** में स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिगं की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अत: आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के प्ररिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपि:–

1– वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2– उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN
Regn. No. 2187
TRUE COPY
PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Jain
Designation: [illegible]
Date: 2024.[illegible]:40:03 IST
Reason: Appro[illegible]

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

कमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date. 19/4/24

प्रबन्धक एक्मे बिल्ड स्टेट प्रा.लि.
निवासी उदयपुर

प्रसंग:- राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 2901 से 2905 एवं धोल की पाटी खसरा संख्या 672 से 678, 684, 687 से 692, 695, 696, 689, 699 आदि

विषय:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 2901 से 2905 एवं धोल की पाटी खसरा संख्या 672 से 678, 684, 687 से 692, 695, 696, 689, 699 आदि में स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date 19/4/24
प्रतिलिपि:-
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

RajKaj Ref 6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0...:40:03 IST
Reason: Approved

Jayesh Jain
22/04/2024

NOTARY Regn. No. 2187 GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BAPPER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Encn./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्रीमती अर्चना पत्नि राजेश, श्रीमती नीता पत्नि कैलाशचन्द्र ओझा
निवासी 387 टीचर्स कॉलोनी उदयपुर, श्री पंकज, योगीता पुत्र कन्हैयालाल एवं श्रीमती शान्तादेवी
पत्नि कन्हैयालाल साहु निवासी 19-20 तिरुपति काम्पलेक्स उदयपुर, श्रीमती भवरीदेवी पत्नि
हजारी जैन निवासी से.न.11 उदयपुर, श्रीमती मंजुदेवी पत्नि शीतल जैन निवासी से.न.11 उदयपुर
श्रीमती मीनाक्षी धायभाई पत्नि विजेन्द्र जी धायभाई पुत्री शिव नारायण जी धायभाई निवासी
धायभाई जी की बाडी कोडियात मार्ग तह. गिर्वा जिला उदयपुर,
श्रीमती श्यामा पत्नि रमेशचन्द्र सुखवाल निवासी टीचर्स कालोनी

प्रसंग:- राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 3207/2913

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम **तितरडी** के खसरा संख्या **3207/2913** में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी मे भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के प्ररिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Encn./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपिः-
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

RajKaj Ref 6690678

Signature valid
Digitally signed by Rahul Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.04.19 ...:40:03 IST
Reason: Approved

Anuj Garg
22-4-24

NOTARY
Regn. No. 2187
GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

कमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92 A/2024 Date: 19/4/24

श्रीमती मन्जु देवी पत्नी शीतल जैन
योगिता पुत्री कन्हैयालाल, नीता पत्नी कन्हैयालाल
श्रीमती श्यामा पत्नी रमेशचन्द्र सुखववाल
निवासी उदयपुर

प्रसंग:- राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 3868/3765

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम **तितरडी** के खसरा संख्या **3868/3765** में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपिः-
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2-- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

RajKaj Ref 6690673

Signature valid
Digitally signed by Rahul Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.04.19 ..:40:03 IST
Reason: Approved

Anuj Garg 22-4-24

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER NOTARY, UDAIPUR

## कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्री भवंरलाल पिता रामदास गमेती
श्रीमती मोवनी पत्नी छगनदास भील
निवासी उदयपुर

प्रसंग:- राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 653, 654

विषय:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 653, 654 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी को कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांकः F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपिः-

1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

सुरेश सिंह 22/04/2024

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by Rahul Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.04.19 ..:40:03 IST
Reason: Approved

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

## कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्रीमती अम्बावी पत्नी गणेशलाल भील
श्रीमती नाथी बाई पत्नी भवंरलाल भील
निवासी उदयपुर

प्रसंगः- राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 524, 655, 653

विषयः- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 524, 655, 656 में स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिगं की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपिः-
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

RajKaj Ref 6690678

22/04/2024
सुरेश सिंह

Signature valid
Digitally signed by R[illegible] Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible] [illegible]:40:03 IST
Reason: Approved

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date 19/4/24

श्रीमती अम्बावी पत्नी गणेशलाल भील
श्रीमती नाथी बाई पत्नी भवंरलाल भील
निवासी उदयपुर

प्रसंग:- राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 670, 671

विषय:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 670, 671 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी को कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांकः F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date 19/4/24
प्रतिलिपिः–
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2– उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

22/04/2024
RajKaj Ref 6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0... ...40:03 IST
Reason: Appro...

NOTARY
Regn. No. 2187
GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

## कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्री भवंरलाल पिता रामदास गमेती
श्रीमती मोवनी पत्नी छगनलाल
निवासी उदयपुर

**प्रसंग:–** राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 651, 1142/650

**विषय:–** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम–2018 दिनांक 07-05 2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 651, 1142/650 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिगं की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

*आयुक्त*
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपि:–

1– वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2– उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

*आयुक्त*
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

22/04/2024

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0... 40:03 IST
Reason: Appro...

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

कमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्री भवंरलाल पिता रामदास गमेती
निवासी उदयपुर

**प्रसंग:-** राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 672

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 672 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिगं की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के प्ररिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कमांक: F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

22/04/2024

RajKaj Ref 6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0...:40:03 IST
Reason: Appro...

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

## कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

कमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्री अंकित पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मंगला
निवासी एफ-69 ग्राउण्ड फ्लोर लाजपत नगर नई दिल्ली
श्रीमती अम्बिका सिंह पत्नि तेजेन्द्र
निवासी बस्सी कोर्ट चित्तोडगढ
श्री अरुण जैन एच.यू.एफ जरिये कर्ता अरुण पिता करोडीचन्द जैन निवासी 8, न्यू नवरत्न काम्पलेक्स रिद्दी सिद्दी पार्क के सामने उदयपुर

प्रसंगः- राजस्व ग्राम कलडवास खसरा संख्या 2829 से 2835

**विषयः-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस़. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम **कलडवास** के खसरा संख्या **2829 से 2835** में स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिगं की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति मे आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के प्ररिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

प्रतिलिपिः-

1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Tej 22/4/24

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]l Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible]:40:03 IST
Reason: Approved

NOTARY Regn. No. 2187 GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

बसन्त होटल प्रा.लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर
श्री प्रताप सिह भण्डारी पिता स्व. बसन्तीलाल भण्डारी
जरिये अधिकृत श्री रिषित भण्डारी,
निवासी अल्का होटल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर

**प्रसंग:-** राजस्व ग्राम कालारोही (सीसारमा) खसरा संख्या 1020 भुखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 167883.55 वर्गफीट

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाडो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य मे रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि कालारोही (सीसारमा) खसरा संख्या 1020 भुखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 167883.55 वर्गफीट मे स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम मे प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति मे आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपिः—
1— वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2— उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible] [illegible]:40:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6690678

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187

TRUE COPY

Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date. 19/4/24

मैसर्स के.के. गुप्ता कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
मैसर्स पार्श्वनाथ कॉम्पलेक्स लिमिटेड डायरेक्टर श्री शान्तिलाल पिता गमेरलाल जैन
श्री कमलेश पुत्र शान्तिलाल जैन
श्रीमती शिल्पा पत्नी कमलेश जैन
श्री गोविन्द सिंह पिता नाहरसिंह गुण्डावत
निवासी उदयपुर

**प्रसंगः-** राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 4092/4065, 4096/3205

**विषयः-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम **तितरडी** के खसरा संख्या 4092/4065, 4096/3205 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांकः F.16 ( ) Teh./Ench./92-A/2024 Date. 19/4/24
प्रतिलिपिः-
1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Receipt on 22/04/2024 (sister)
Meenakshi Jain

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0... ...40:03 IST
Reason: Approved

NOTARY
Regn. No. 2187
GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

मैसर्स के.के. गुप्ता कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
मैसर्स पार्श्वनाथ कॉम्पलेक्स लिमिटेड डायरेक्टर श्री शान्तिलाल पिता गनेरलाल जैन
श्री कमलेश पुत्र शान्तिलाल जैन
श्रीमती शिल्पा पत्नी कमलेश जैन
श्री सुरपालसिंह पिता जीत सिंह चुण्डावत निवासी उदयपुर

**प्रसंग:-** राजस्व ग्राम तितरडी खसरा संख्या 4093/4065

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ो के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है। उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम तितरडी के खसरा संख्या 4093/4065 में स्थित पहाडी भूमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी की कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2-- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Received on 22/04/2024 (Sister)
Meenakshi Jain

RajKaj Ref
6690678

Signature valid
Digitally signed by R[...]l Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[...]:40:03 IST
Reason: Approved

NOTARY
Regn. No. 2187
GOVT. OF RAJASTHAN
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

# कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24

श्री हिमांशु मीणा पिता नरेन्द्र कुमार
श्रीमती प्रेमबाई पत्नी सुखराम
श्री श्रवणकुमार पिता रामेश्वर मीणा
निवासी उदयपुर

**प्रसंग:-** राजस्व ग्राम फान्दा खसरा संख्या 1513/667, 1511/666

**विषय:-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर पहाडी भूमि है, जिस पर स्वीकृति/प्लान अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 दिनांक 07-05-2018 को जारी अधिसूचना के तहत जारी की गई है । उक्त अधिनियम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सिविल मिस. सेकण्ड एपलीकेशन संख्या 19428/2023 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य व अन्य से रोक लगा दी गई है एवं प्रकरण में प्राधिकरण से जवाब भी मांगा जा रहा है ।

वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फान्दा के खसरा संख्या 1513/667, 1511/666 में स्थित पहाडी भुमि है एवं मौके पर आप द्वारा पहाडी को कटिंग की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। अतः आपको इस नोटिस के जरिये निर्देशित किया जाता है कि मौके पर किये जा रहे निमाण/विकास कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्लान आगामी 15 दिवस में प्राधिकरण उपनगर नियोजक कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे जारी स्वीकृति में संशोधन किया जा सके । आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जारी निर्माण स्वीकृति को भी निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक: F.16 ( ) Ten./Ench./92-A/2024 Date: 19/4/24
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।
2- उपविधि परामर्शी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ।

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN Regn. No. 2187
TRUE COPY
Dr. PANKAJ KUMAR BARBER
NOTARY, UDAIPUR

RajKaj Ref 6690678

Signature valid
Digitally signed by R... Jain
Designation: Commissioner
Date: 2024.0...:40:03 IST
Reason: Approved